रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 1295] नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2013/ज्येष्ठ 15, 1935
No. 1295] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2013/JYAISTHA 15, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2013

का.आ. 1455(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13.12.2012 की का.आ. सं. 2881(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टरप्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

धीरपुर फेज-।। में निम्नलिखित क्षेत्र के भूमि उपयोग को निम्न सूचीबद्ध विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है:

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (अब से)	भूमि उपयोग में परिवर्तन	क्षेत्र की सीमाएं
1.धीरपुर, फेज-II में आवासीय परिसर के लिए दिल्ली पुलिस की भूमि । कुल क्षेत्रफल-60 एकड (24.28 हेक्टेयर)	16.63 एकड़ (6.74 हेक्टेयर)	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	आवासीय	उत्तर: आवासीय पूर्व : जिला पार्क पश्चिम: जिला पार्क दक्षिण: नदी एवं जलाशय
2.धीरपुर, फेज-II में आवासीय परिसर के लिए दिल्ली पुलिस की भूमि । कुल क्षेत्रफल-60 एकड (24.28 हेक्टेयर)	2.70(1.09हेक्टेयर)	नदी एवं जलाशय	आवासीय	उत्तर: जिला पार्क पूर्व: नदी एवं जलाशय पश्चिम: जिला पार्क दक्षिण: नदी एवं जलाशय

नोट: उपर्युक्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन है कि कुल 60 एकड "आवासीय" भूमि में से 19.33 एकड़ (16.63 एकड़ + 2.70 एकड़) भूमि जिसके लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा है उसे दिल्ली पुलिस अनिवार्यतः हरित क्षेत्र के रूप में रखेगी। तथापि, दि.मु.यो. के मानको के अनुसार केवल अनुमेय क्षेत्र में ही भवन निर्माण की अनुमति होगी ताकि दिल्ली पुलिस के आवासों के निर्माण के लिए अधिकतम एफ ए आर उपलब्ध हो ।

[सं. के-13011/1/2013-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2013

S.O. 1455(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2881(E) dated 13th December, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area at Dheerpur Ph.II is changed as per description listed below:—

Sl. No.	Subject	Area	Land use as per MPD-2021	Land use changed to	Boundaries
1.	Delhi Police land for Residential complex at Dheerpur, Ph.II Total area- 60 acres (24.28 ha)	16.63 acre (6.74 ha)	Residential (District Park)	Residential	North: Residential East: District Park West: District Park South: River & Water Body
2.	Delhi Police land for Residential complex at Dheerpur, Ph. II Total area- 60 acres (24.28 ha)	2.70 acre (1.09 ha)	River & Water Body	Residential	North: District Park East: River & Water Body West: District Park South: River & Water Body

Note : The above proposal is subject to condition that out of total 60 acres of 'Residential' land, 19.33 acres (16.63 acres + 2.70 acres) of land as mentioned above will have to be maintained as mandatory 'green' by Delhi Police. However, construction of building will only be allowed on the permissible area as per MPD norms so that maximum FAR is available for construction of houses for Delhi Police.

[No. K-13011/1/2013-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054